

Fee Paid Rs. 1000/-
 Vide Application No. 1097
 Date 15/7/22

अनुसूची 21-प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र सं० 579/2022 आवेदन सं० 2022

चुंकि श्री Shri Mahesh Sahu & others ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के

निबंधित सव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे

सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 2013-20 से ता० upto date 2022 तक तलाशी की और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मुल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आवेदन में वर्णित सम्पत्ति का विवरण						Deed No. :- 9280	Dated :- 2021	Ranchi :-
	Mouza :- Tupudana							
	Thana No. :- 267							
	Thana :- Dhuwra							
	Khata No. :- 129							
	Plot No. :- 783							
	Sub Plot No. :- 783/part							
	Area :- 27.64 Decimal							
	Dist :- Ranchi							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक- पत्र क दशा में लागू की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनका बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाणपत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- mlg
16/7/22
(पदनाम) :- T.C.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(पदनाम) :-
(हस्ताक्षर) :- [Signature]
16.7.22

कार्यालय :- अवर निबंधक, शहरी क्षेत्र सं.-2 (डोरण्डा प्रक्षेत्र), राँची।

तारीख :- 16/7/2022



Date..... 16/7/2022

टिप्पणी :-

[Signature]
अवर निबंधक, राँची
शहरी क्षेत्र-2 (डोरण्डा) प्रक्षेत्र
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
mlg
16/7/22

(1) इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो ऐसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रतिलिपियां देखता चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भुल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

~~(ख)~~ और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है और, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा, ना ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

ज्ञापांक..... 581

दिनांक..... 16/7/22

Sri Mahesh Sahu & Others

का सम्पत्ति अवभार

प्रमाण पत्र Managers State Bank of India

S.P.B Fouke Road Ranchi

का प्रेषित

[Signature]
R.O.

अवर निबंधक, राँची
शहरी क्षेत्र-2, (डोरण्डा) प्रक्षेत्र

mlg
16/7/2022
16/7/22